न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/276

बद्रीलाल आयु 60 वर्ष आत्मज श्री सुन्दरदास जी जाति बाबाजी निवासी सांवतगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 12.07.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार (भू0अ0) हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी बद्री आत्मज सुन्दरदास को दिनांक 12.10.1977 को ग्राम सावंतगढ की आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 06 बीघा भूमि आवंटित की गई थी । मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त नहीं है । भूमि कमाण्ड क्षेत्र की है कीमतन आवंटन की जाती है, जिसकी कीमत भूमि आवंटी द्वारा जमा नहीं करवाई गई है । इस प्रकार आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है । अतः आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावे ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.06.2015 के द्वारा तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटी के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश दिनांक 12.10.1977 खारिज कर दिया ।

4. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान की सहमति के बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है और मौके पर आवंटी का कब्जा काश्त भी नहीं है । आवंटी द्वारा आवंटन की राशि भी जमा नहीं करवाई है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

7. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार हिण्डोली ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 (ए) राजस्थान उपनिवेशन (लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भूमि का आवंटन) नियम 1968 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटी के पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त करने का निवेदन किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों और सहमति के आधार पर अपने प्रकरण का निस्तारण करवाना चाहते हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.08.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

9. निर्णय आज दिनांक 12.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा